Ombudsman
Fairness for all

कारागारों के बारे में षिकायतें करना

क्या आपसे सुधार कर्मचारियों द्वारा निश्पक्षतारहित व्यवहार किया गया है?

लोकपाल आपकी सहायता कर सकता है

लोकपाल आपके लिए क्या कर सकता है?

लोकपाल, सरकारी एजेंसियों, जिनमें सुधार एजेंसियां भी षामिल हैं,की कार्यवाहियों और निर्णयों के बारे में षिकायतों की जांच करता है।

आप निम्न को लेकर लोकपाल के समक्ष षिकायत कर सकते हैं:

- यदि आपके विचार में आपसे निश्पक्षतारहित व्यवहार किया गया है, या सुधार कर्मचारियों द्वारा किया गया कोई निर्णय अतर्कसंगत या गलत है।
- यदि आपने कारागार प्रबंधन से आधिकारिक सूचना देने का अनुरोध किया है और प्रतिक्रिया से आप असंतुश्ट हैं

लोकपाल स्वतंत्र है और आपकी षिकायत पर सावधानीपूर्वक व निश्पक्षता से विचार करेगा।

लोकपाल कानूनी सलाह, पंचाट, मुआवजा नहीं प्रदान करता या आपके प्रवक्ता की भांति कार्य नहीं करता।

जब आप षिकायत करेंगे तो क्या होगा?

लोकपाल द्वारा पहले यह तय किया जाएगा कि जांच की जाएगी अथवा नहीं। यदि नहीं, तो हम इसका कारण बताएंगे और आपको अन्य विकल्पों या एजेंसियों के पास भेज सकते हैं।

हम यह देखने के लिए कारागार से संपर्क कर सकते हैं कि क्या मामले को अनौपचारिक ढंग से निबटाया जा सकता है, या आपकी षिकायत पर आपसे चर्चा करेंगे।

यदि हम औपचारिक जांच करेंगे, तो हम सुधार विभाग से जानकारी मांगेगे।

औपचारिक जांच किए जाने पर लोकपाल इसकी पुश्टि करेंगे कि क्या कारागार ने निश्पक्षतारहित कार्यवाही की है या नहीं। जहां भी उपयुक्त हो, लोकपाल किसी समाधान की सिफारिष कर सकता है।

लोकपाल किसकी जांच नहीं कर सकता?

लोकपाल न्यायालयों या परिवीक्षा बोर्डों द्वारा किए गए फैसलों, अतिथि न्यायाधीषों व उनके फैसलों, या निजी व्यक्तियों, कंपनियों या वकीलों के फैसलों की जांच नहीं कर सकता।

हम पुलिस के बारे में षिकायतों की भी जांच (आधिकारिक सूचना हेतु अनुरोध के बारे में आपकी षिकायत को छोड़कर) नहीं कर सकते। पुलिस के आचरण से संबंधित षिकायतों का निबटान स्वतंत्र पुलिस आचरण प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

यदि आपने अपने बारे में निजी सूचनाओं का अनुरोध किया है तो यह निजता अधिनियम से आच्छादित है। निजता अधिनियम के बारे में पूछताछ निजता आयुक्त से की जानी चाहिए।

षिकायत प्रक्रिया

सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए?

कैदियों की षिकायतों के समाधान के लिए सभी कारागारों में आंतरिक प्रणालियां हैं।

इसलिये लोकपाल के समक्ष षिकायत करने से पहले, मामले को इन चैनलों के माध्यम से सुलझाने का प्रयस करें।

यदि आपने यह प्रयास नहीं किया है तो लोकपाल द्वारा आपकी षिकायत पर जांच की संभावना कम होगी।

आप कैसे षिकायत कर सकते हैं?

आप निम्न द्वारा लोकपाल के समक्ष षिकायत कर सकते हैं:

- हमारे कर्मचारी से आपकी षिकायत पर चर्चा के लिए कार्यालय में फोन करके
- हमारे कर्मचारी से साक्षात्कार की वांछना करके। हमारा नियमित दौरा कब होगा, इसके बारे में प्रत्येक यूनिट में सूचना दी जाती हैं।
- एक पत्र भेजकर (मुहरबंद लिफाफे का उपयोग करें; लोकपाल को प्रेशित पत्र कारागार कर्मचारियों द्वारा खोला नहीं जाता है)।

आपकी षिकायत के बारे में सुझाव

विलम्ब मत करें। 12 महीने से अधिक पुरानी षिकायत पर जांच करना हमारे लिए कठिन होता है।

उस निर्णय या कार्यवाही का वर्णन करें जिसके बारे में आप षिकायत करना चाहते हैं, और बताएं कि आपके विचार में वह क्यों निश्पक्षता रहित था।

स्पश्ट और संक्षिप्त रहें। केवल अनिवार्य जानकारी ही प्रदान करें, जिसमें कारागार की आंतरिक षिकायत प्रक्रिया के परिणाम भी षामिल हैं।

हमारे कर्मचारी, कारागारों का नियमित रूप से दौरा करते हैं। यदि आप साक्षात्कार देना चाहें, तो हमें 0800 662 837 पर कॉल करें।

लोकपाल (ऑम्बड्समैन) से संपर्क करें

मुफ्त फोन: **0800 802 602**

www.ombudsman.parliament.nz

ईमेलरू
info@ombudsman.parliament.nz

डाक पतारू
PO Box 10152, Wellington 6143

फैक्सरू
(04) 471 2254

कार्यालय प ू छताछरू
8:30 बजे सुबह से 5:00 बजे षाम तक सोमवार से षुक्रवार

वेलिंगटन
लेवल 14, 70 दि टैरेस, वेलिंगटन, 6143

ऑकलैण्ड
लेवल 10, 55-65 षार्टलैण्ड स्ट्रीट, ऑकलैण्ड 1010

क्रॉइस्टचर्च
545 वाइराकेई रोड, हेयरवुड, क्रॉइस्टचर्च 8053